अध्याय IV: कोयला मंत्रालय

सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड

4.1 'ई-नीलामी' के माध्यम से बिक्री पर वाशरी प्रभारों की वसूली न करना

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की एक सहायक नियंत्रण कम्पनी ने 'ई-नीलामी' ग्राहकों से वाशरी प्रभारों की वसूली नहीं की जिसके कारण अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2012 के दौरान ₹ 418.58 करोड़ अर्जित करने के अवसर की हानि हुई।

सीआईएल द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार कोयले को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसे कि कोकिंग कोयला, गैर कोकिंग कोयला और अर्द्ध और कमजोर कोकिंग कोयला । कोयले की केवल कोकिंग श्रेणी वाशरी कोटि की है और निहित राख की प्रतिशतता के आधार पर इसे फिर श्रेणी I, II, III और IV में वर्गीकृत किया गया है। उच्चतर कोटि के कोयले में राख की कम प्रतिशतता होती है।

सीसीएल, सीआईएल की सहायक कम्पनी ने एमओयू के आधार पर सेल और आरआईएनएल को वाशरी श्रेणी का कोयला बेचा। कोयले को साफ किए बिना इन ग्राहकों को आपूर्त वाशरी श्रेणी II, III और IV के कोयले के संबंध में अधिसूचित मूल्य से अधिक और उसके ऊपर वाशरी वसूली प्रभारों के रूप में सीसीएल वाशरी की निर्धारित लागत अवयव संग्रहीत करता है।

लेखापरीक्षा जॉच से पता चला कि जबकि 'ई-नीलामी' सूचनाओं में बोली मूल्य के अतिरिक्त जोड़े गए मूल्य की वसूली से संबंधित एक क्लॉज शामिल था, सीसीएल ने वाशरी ग्रेड II, III और IV के कोयले की बिक्री पर 'ई-नीलामी' के माध्यम से कोयला खरीदने वाले ग्राहकों से सेवा वाशरी वसूली प्रभारों की वसूली नहीं कर रही थी। सीसीएल की अन्य सहायक कम्पनी, बीसीसीएल अन्य विधिक प्रभारों के ऊपर और अधिक 'ई-नीलामी' के माध्यम से बिके सभी प्रकार के वाशरी श्रेणी के कोयले के लिए इसकी संग्रहण कर रही थी और बोली मूल्य के ऊपर और अधिक अतिरिक्त मूल्य (वाशरी वसूली प्रभार) की वसूली के लिए क्लॉज को लागू करते हुए उगाही करती है।

अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2012 के दौरान, 'ई-नीलामी' ग्राहकों ने सीसीएल से वाशरी श्रेणी का 45.50 लाख टन कोयला उठाया जिस पर सीसीएल, वाशरी वसूली प्रभारों की उगाही के माध्यम से ₹ 418.58 करोड़ संग्रहीत करने में विफल रही।

सीसीएल ने कहा (फरवरी 2012 एवं मार्च 2013) कि:

- इसने 'ई-नीलामी' के माध्यम से केवल वाशरी श्रेणी का कोयला बेचा जिसे वाशरी में साफ नहीं किया जा सकता था अथवा साफ करने हेतु वाशरी द्वारा स्वीकार करने योग्य नहीं था।

- बीसीसीएल वाशरी श्रेणी का कोयला सीसीएल की तुलना में बेहतर गुणवत्ता वाला है।

- 'ई-नीलामी' के लिए घोषित मूल कीमत अधिसूचित मूल्य से 30 प्रतिशत अधिक है और 'ई-नीलामी' के तहत ऐसे प्रस्ताव के प्रति प्राप्त दर मूल्य दर से अधिक माने जाने योग्य है। 'ई-नीलामी' मूल्य बाजार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

- नई कोयला वितरण नीति अथवा एमओसी/सीआईएल द्वारा जारी किसी अन्य दिशा-निर्देश में प्रावधान नहीं था कि वाशरीज़ को आपूर्त मात्रा के पश्चात् भण्डार में बचे कच्चे कोकिंग कोयले को वाशरी वसूली प्रभरों के साथ अधिसूचित मूल्य पर बेचा जाना था।

निम्नलिखित के मद्देनजर उत्तर स्वीकार्य नहीं है:-

- बीसीसीएल 'ई-नीलामी' के माध्यम से वाशरी श्रेणी के कोयले के लिए वाशरी वसूली प्रभार की उगाही करती रही है चाहे कोयला सफाई के लिए किसी वाशरी से जुड़ा था अथवा नहीं। सीसीएल ने भी अधिसूचित मूल्य से अधिक और ऊपर वाशरी वसूली प्रभारों के साथ सेल और आरआईएनएल पर वाशरी श्रेणी के कोयले की आपूर्ति के लिए बिल जारी करती रही है।

- सीआईएल मूल्य अधिसूचना के अनुसार, सीसीएल और बीसीसीएल, दोनों के द्वारा 'ई-नीलामी' के माध्यम से समान श्रेणी के वाशरी श्रेणी का कोयला बेचा।

- सीआईएल की नई कोयला वितरण नीति 'ई-नीलामी' के माध्यम से बिके वाशरी ग्रेड कोयले के लिए वाशरी वसूली प्रभारों को आरोपित करने में कोई प्रतिबंध नहीं लगाती।

लेखापरीक्षा में बताए जाने पर सीसीएल ने अतिरिक्त प्रभार के रूप में 'ई-नीलामी' मात्रा पर जनवरी 2013 से वाशरी वसूली प्रभार संग्रहीत करना शुरू कर दिया जिससे सिद्ध होता है कि इसे पहले भी किया जा सकता था।

इस प्रकार, बीसीसीएल के अनुरूप 'ई-नीलामी' के माध्यम से वाशरी श्रेणी के कोयले की बिक्री पर वाशरी प्रभारों की वसूली न करने के कारण सीसीएल ने अप्रैल 2008 से दिसम्बर 2012 के दौरान ₹ 418.58 करोड़ अर्जित करने का अवसर खो दिया।

मामले को नवम्बर 2013 में मंत्रालय को बताया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (मार्च 2014)।